

नोट

- नम्बर १ अगर यह टेण्डर मिनजानिब किसी कारखाना के दाखिल किया तो हर मेम्बर को इस पर दस्तखन बनाना चाहिए और बसूरत अदम मौजुदगी किसी मेम्बर के इसके मुख्तार मजाज को दस्तखत बनाना चाहिए।
- नम्बर २ (अनमूलन जमानत ५) सैकड़ा दाखिल होगा।
- नम्बर ३ अध्यक्ष जिला पंचायत को अख्तियार है कि टेण्डर कुल या जुल मन्जूर करें।
- नम्बर ४ अगर ठीक में किसी खास शरायत की जरूरत हो तो अध्यक्ष महोदय जिला पंचायत की मन्जूरी से तहरी हो सकता है।